नम्बर व
अहकाम जा
हुक्म की ता
में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.)

राजस्व वाद सं. 91/2019

अन्तर्गत धारा 88, 188,40 RT Act

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लीलाधर पुत्र हरलालराम 2. मांगीलाल पुत्र हरलालराम 3. छगनलाल पुत्र हरलालराम 4. गुलाबचन्द पुत्र हरलालराम जाति सुथार निवासी रासारा तला तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. हरलालराम पुत्र नथाराम नि. रासारा तला तहसील शिव 2. साकुदेवी पुत्री हरलालराम पत्नि गोविन्दराम निवासी रासारातला हाल निवासी जैसिन्धर स्टेशन तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर 3. बबूदेवी पुत्री हरलालराम पत्नि तनसुखराम निवासी रासारातला हाल निवासी जैसिन्धर स्टेशन 4. केंकूदेवी पुत्री हरलालराम पत्नि भगवानदास निवासी रासारातला हाल निवासी जैसिन्धर स्टेशन गड़रारोड़ 5. मूलीदेवी पुत्री हरलालराम पत्नि गोविन्दराम निवासी रासारातला हाल विशाला तहसील व जिला बाड़मेर 6. खुमाणाराम पुत्र नथाराम जाति सुथार निवासी रासारा तला तहसील शिव 7. तहसीलदार शिव

अधिवक्तागण– वादीगण वकील श्री बृजमोहन कुमावत

प्रतिवादी 1 से 6 वकील श्री ईशवरसिंह भाटी

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.11.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार व हिन्दू विधि से शासित है जो पूर्व पुरुष नथाराम की संताने है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 6 की खातेदारी भूमि मौजा मुंगेरिया पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 18, 199, 509/157 रकबा क्रमशः 32–15, 04–14, 31–11 बीघा तथा मौजा रासारा तला पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 180, 432, 575/388, 614/432 रकबा क्रमशः 53–16, 171–09, 110–04, 02–08 बीघा के आये हुए है।

उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 5 का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 6 का 1/2 हिस्सा बनता है। हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 2 से 5 का प्रतिवादी सं. 1 के साथ 1/2 हिस्सा जो स्व. नथाराम के पौत्र–पौत्रिया होने से जन्म के साथ ही अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 को पैतृक/विरासत में प्राप्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। पैतृक/विरासत में प्राप्त भूमि में वादीगण का सम्पूण आराजी में 4/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 1/18 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण सं. 2 से 5 का 4/18 हिस्सा बनता है।

वादीगण प्रतिवादी सं. 1 के साथ उनके 1/2 हिस्सा की भूमि मे मौके पर पृथक से रहवासी ढ़ाणिया, पानी के टांको, मवेशिया के पशुबाड़े सहित काबिज काश्त है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण के हिस्सो में आने वाली उक्त आराजी को मौके पर बहामी तौर पर बंटवाड़ा कर दे रखी है जिस पर वादीगण ही काश्त करते है लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वादीगण का नाम दर्ज नही होने से वादीगण सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहे है।

वादीगण वादग्रस्त आराजी में अपने पैतृक रूप से प्राप्त खातेदारी जोत में अपने पिता प्रतिवादी सं. 1 के साथ अपना 4/18 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी होने से यह वाद खातेदारी घोषणा का पेश किया गया है।

वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के साथ वादीगण को सह खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकर्ड में इसी अनुसार हिस्सा अंकित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण की खातेदारी अधिकारों मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे।

वादीगण द्वारा वाद पेश कर मौजा मुंगेरिया पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 18, 199, 509/157 रकबा क्रमशः 32–15, 04–14, 31–11 बीघा तथा मौजा रासारा तला पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 180, 432, 575/388, 614/432 रकबा क्रमशः 53–16, 171–09, 110–04, 02–08 बीघा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ 4/18 हिस्सा के सह खातेदार घोषित किया जाने तथा 4/18 हिस्से में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करने हेतु यह वाद पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 6 की ओर से श्री ईशवरसिंह भाटी द्वारा वकालतनामा व ईकबाली जवाबदावा कर वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यो को स्वीकार कर बताया कि वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ सह खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादी सं. 1 से 6 को कोई ऐतराज नही है। ग्रम पंचायत मुंगेरिया पंचायत समिति शिव द्वारा वारिश प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसमे प्रतिवादी सं. 1 हरलालराम पुत्र नथाराम के वाद में बताये गये पुत्र/पुत्रियो के अलावा अन्य कोई पुत्र/पुत्रिया नही है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण का ईकबाली जवाब, ग्रम पंचायत का वारिश प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। वादीगण का वादग्रस्त मौजा मुंगेरिया पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 18, 199, 509/157 रकबा क्रमशः 32–15, 04–14, 31–11 बीघा तथा मौजा रासारा तला पटवार क्षेत्र मुंगेरिया तहसील शिव के खसरा नम्बर 180, 432, 575/388, 614/432 रकबा क्रमशः 53–16, 171–09, 110–04, 02–08 बीघा भूमि में 4/18 हिस्सा बनता है। वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 के साथ 4/18 हिस्से का सह खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार शिव को आदेश दिया जाता है। तहरीर जारी हो। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2019 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

(प्रतापसिंह)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.10 16:45:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: